रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 1967/ज्येष्ठ 30, 1889

No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 1967/JYAISTHA 30, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली, 17 जून 1967

सं० 15/1/67-ए० आई० एस० (I) :—निम्नलिखित सेवाओं में 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन-प्राप्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अफ़सरों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफ़सरों के लिये आरक्षित रिक्तियों को चुनाव के द्वारा भरने के लिये अक्तूबर, 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की, और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, सहमति से आम जानकारी के लिये प्रकाशित किये जा रहे हैं :—

(I) भारतीय प्रशासनिक सेवा,

(II) भारतीय विदेश सेवा,

(III) भारतीय पुलिस सेवा,

(IV) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड II) श्रेणी I,

(V) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,

(VI) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा,

(VII) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(VIII) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी I)

(IX) भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा, श्रेणी I, (सहायक प्रबन्धक गैर-तकनीकी),

(X) भारतीय डाक सेवा,

(XI) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,

(XII) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैंड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी I,

(XIII) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(XIV) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी II,

(XV) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड श्रेणी II,

(XVI) सीमा-शुल्क मूल्य-निरूपक (एप्रेजर) सेवा, श्रेण II,

(XVII) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा, श्रेणी II,

(XVIII) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख), अनुभाग अधिकारी ग्रे

(XIX) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II, और

(XX) सैनिक भूमि मिलिटरी (लैंड्स) और छावनी सेवा, श्रणी II.

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिये प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठ सकता है । वह इन सेवाओं में से जितनी सेवाओं के लिये प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठना चाहता हो उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर दे । उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी ऐसी सेवा में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन पत्र में नहीं करेंगे ।

ध्यान दें I.—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में उन सेवाओं के अधिमान-क्रम का स्पष्ट उल्लेख करें जिनके लिये वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक है । उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार जितनी सेवाओं का चाहे उल्लेख करें जिससे नियुक्तियां करते समय, योग्यता क्रम में उनके स्थान को दृष्टि में रखते हुए, उनके अधिमानों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके ।

ध्यान दें II.—उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र में मूलतः उल्लिखित सेवाओं में किसी अन्य सेवा का नाम जोड़ने अथवा उनके अधिमान-क्रम में कोई परिवर्तन करने से सम्बन्धित किसी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा जो 31 दिसम्बर, 1967 को या उसके पूर्व आयोग के कार्यालय में नहीं प्राप्त हो जाता ।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफ़सरों के लिये आरक्षित स्थायी रिक्तियों पर निम्नलिखित रूप में नियुक्तियां की जायेंगी :

सेवा	कितनी प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं
(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा	20%
(ii) भारतीय पुलिस सेवा .	30%
(iii) केन्द्रीय सेवाएं/पद, श्रेणी I, (गैर-तकनीकी) (इसमें रेलवे की सेवाएं/पद भी सम्मिलित हैं) .	25%
(iv) केन्द्रीय सेवाएं/पद, श्रेणी II, (गैर-तकनीकी) (इसमें रेलवे की सेवाएं/पद भी सम्मिलित है) . .	30%

परन्तु भर्ती के किसी भी वर्ष में इस परीक्षा के सम्बन्ध में निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफ़सरों के लिए और नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए, आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या नीचे बताई गई सीमा से अधिक नहीं होगी :—

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाएं/श्रेणी I के पद (गैर-तकनीकी) के मामले में कुल स्थायी रिक्तियों की 45% रिक्तियों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी ।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाएं/श्रेणी II के पद (गैर-तकनीकी) के मामले में कुल स्थायी रिक्तियों की 50% रिक्तियों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विधि से किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों में आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1965 के साथ पढ़े गये अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान, (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

4. वे सभी श्रापातकालीन कमीशंड श्राफीसर/श्रल्पकालीन सेवा कमीशंड अफ़सर, इन नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त हुआ था तथा जो सन् 1967 में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व निर्मुक्त हो चुके हैं अथवा उसके बाद 1968 के अंत तक निर्मुक्त किये जाने वाले हैं।

किन्तु शर्त यह है कि जिन आपातकालीन कमीशंड अफसरों / अल्पकालीन सेवा कमीशंड अफसरों को सशस्त्र सेना में 1 नवम्बर, 1962 के बाद कमीशन प्राप्त हुआ था तथा जो 1967 के पूर्व सैन्य सेवा के कारण हुई अथवा बढ़ गई विकलांगता के कारण अपांग हुए थे, वे नियम 8 के परंतुक की शर्तों के अनुसार तथा उसमें उल्लिखित सीमाओं के अंतर्गत ही इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

नोट 1 :—इन नियमों के अन्तर्गत "निर्मुक्ति" का अर्थ होगा :—

(i) आपातकालीन कमीशंड अफसरों के सम्बन्ध में एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वास्तविक निर्मुक्ति,

(ii) अल्पकालीन सेवा कमीशंड अफ़सरों के सम्बन्ध में अपने सेवाकाल की समाप्ति पर वास्तविक निर्मुक्ति,

(iii) सैन्य सेवा के कारण हुई अथवा बढ़ गई विकलांगता के कारण अपांगता।

किन्तु यह निर्मुक्ति प्रशिक्षण के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर, या वास्तविक सेवा में लिये जाने के पूर्व इस प्रकार के प्रशिक्षण काल को पूरा करने के लिये प्रदान किये गये "अल्पकालीन सेवा कमीशन" के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर नहीं होनी चाहिए बल्कि सशस्त्र सेनाओं में कुछ समय तक सेवा कर लेने के पश्चात् ही होनी चाहिए।

नोट 2:—यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन-पत्र प्रेषित कर देने के बाद सशस्त्र सेना से त्याग-पत्र दे देता है अथवा दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर अथवा स्वयं के अनुरोध पर सशस्त्र सेना से निर्मुक्त किया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

5 (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(ii) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका में कीन्या, उगांडा, टैंजानिया (भूतपूर्व टैंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष तक की अवधि के लिये जारी किया जायेगा। उसके बाद उम्मीदवार की नौकरी तभी जारी रखी जायेगी जब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आगये हों और तब से आम तौर से भारत में रह रहे हों।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आगये हों जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आये और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवा काल का क्रम नहीं टूटा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसके 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र देना होगा।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे।

परीक्षा में उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिये पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने की शर्त के साथ, अंतिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार ने जिस वर्ष में सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया उस वर्ष के 1 अगस्त तक उसकी आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(v) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, 3 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारतमें आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति की हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन, नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(viii) यदि उम्मीदवार, कीन्या, उगाडा, या टंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका तथा जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(ix) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(xi) रक्षा सेनाओं के उन विकलांग कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक वर्ष तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किये गये।

(xii) रक्षा सेनाओं के ऐसे विकलांग कर्मचारियों में अधिक से अधिक 8 वर्ष जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के है तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त किए गए

(xiii) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, वह यदि पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है : उसके मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष। यह छूट परीक्षा के लिये प्राप्य प्रथम अवसर तक ही सीमित रहेगी।

(xiv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, वह यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तथा साथ ही पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तो उसके मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष। यह छूट परीक्षा के लिये प्राप्य अवसर तक ही सीमित रहेगी।

(xv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया है वह यदि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी है तो उसके मामले में अधिकतम चार वर्ष तथा

(xvi) जिस उम्मीदवार ने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया है, यदि वह भारतीय नागरिक है तथा साथ ही श्रीलंका से प्रत्यावर्तित है तो उसके मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक।

उपर्युक्त परिस्थिति को छोड़ कर निर्धारित आयु, सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यह प्रतिबन्ध 1966 में होने वाली परीक्षा से लागू होगा।

परन्तु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जायेगी जो उस वर्ष के 1 अगस्त को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उपर्युक्त पैरा 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उसके बाद के वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का हो गया था।

नोट :—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह प्रतियोगिता-परीक्षा में भाग ले चुका है।

8. इन नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत

(1) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के पहले वाले वर्ष की परीक्षा में बैठना चाहिये।

(2) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके पहले वाले वर्ष की परीक्षाओं में बैठना चाहिये।

किन्तु शर्त यह है कि :

(क) जो उम्मीदवार सैन्य सेवा के कारण हुई अथवा बढ़ गई विकलांगता के कारण अपांग हुआ है वह, इस नियम के नीचे दिये हुए नोट में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर, 1967 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है; तथा यह

(i) उसका एकमात्र अवसर माना जायेगा यदि वह 1967 की परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख के पहले अपांग हुआ है और परीक्षा में बैठने का केवल एक अवसर पाने का पात्र है।

(ii) उसका दूसरा अवसर माना जायेगा यदि वह 1966 की परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख के पहले अपांग हुआ था और परीक्षा में बैठने के लिये दो अवसर पाने का पात्र है।

(iii) उसका पहला अवसर माना जायेगा यदि वह 1965 या उसके पूर्व, अथवा 1966 की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख के पूर्व 1966 में ही अथवा 1967 की परीक्षा के लिये निर्धारित अंतिम तारीख के पूर्व 1967 में ही अपांग हुआ था और यदि वह परीक्षा में बैठने के दो अवसर पाने का पात्र है।

(iv) उसका दूसरा अवसर माना जायेगा यदि वह 1966 की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख के पूर्व 1966 में ही अपांग हुआ था, और यदि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालीन कमीशंड अफसर के मामले में) अथवा अपने सेवाकाल की समाप्ति पर (अल्पकालीन सेवा कमीशंड अफसर के मामले में) 1967 में निर्मुक्त होने वाला था।

(ख) सन् 1967 मे निर्मुक्त हुए निर्मुक्त होने वाले जिस उम्मीदवार के पास कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश के समय नियम 9 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई योग्यता नहीं थी, किन्तु जिसने 5 अक्तूबर, 1966 से पूर्व समाप्त हुई परीक्षा उत्तीर्ण करके उक्त योग्यता प्राप्त कर ली है, वह सन् 1967 में ली जाने वाली परीक्षा में बैठ सकता है तथा

(i) यदि वह परीक्षा में बैठने के लिये केवल एक अवसर पाने का पात्र है तो वह उसका एकमात्र अवसर माना जायेगा;

(ii) यदि वह परीक्षा में बैठने के लिये दो अवसर पाने का पात्र है तो यह उसका पहला अवसर माना जायेगा ।

(ग) जिस उम्मीदवार को आयोग द्वारा 1966 में ली गई परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया था किन्तु जो सशस्त्र सेनाओं में नौकरी की अपेक्षाओं के कारण परीक्षा में नहीं बैठ सका था, वह 1967 में ली जाने वाली परीक्षा में बैठ सकता है तथा

(i) यदि वह परीक्षा में बैठने के लिये केवल एक अवसर पाने का पात्र है तो वह उसका एकमात्र अवसर माना जायेगा;

(ii) यदि वह परीक्षा में बैठने के लिये दो अवसर पाने का पात्र है तो यह उसका पहला अवसर माना जायेगा ।

नोट 1:—इस नियम के परंतुक (क) में दी गई व्यवस्था उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होगी जो 1967 के दौरान सैन्य सेवा के कारण हुई या बढ़ गई विकलांगता के कारण अपांग हुआ था और जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालीन कमीशंड अफसर के मामले में) अथवा अपने सेवाकाल की समाप्ति पर (अल्पकालीन सेवा कमीशंड अफसर के मामले में) 1967 में निर्मुक्त होना था ।

नोट 2. इस नियम के परंतुक (क) की धारा (1) में दी गई व्यवस्था उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होगी जो परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र है और जो 1966 के दौरान सैन्य सेवा के कारण हुई या बढ़ गई विकलांगता के कारण अपांग हुआ था तथा जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालीन कमीशंड अफसर के मामले में) अथवा अपने सेवा काल की समाप्ति पर (अल्पकालीन सेवा कमीशंड अफसर के मामले में) 1967 में निर्मुक्त होना था ।

9. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा परिशिष्ट—I (क) में उल्लिखित कोई एक योग्यता होनी चाहिये ।

नोट :—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है परन्तु अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्ज़ामिनेशन) में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले समाप्त हो जाये । यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्तें पूरी करते होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायेगा, परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जायेगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है ।

नोट II. :—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को, जिसके पास उपर्युक्त कोई अर्हता नहीं है, योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा ली गई ऐसी परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हैं, जिनके स्तर को देखते हुए आयोग यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

नोट III :—यदि कोई उम्मीदवार अन्य दृष्टियों से योग्य है किन्तु उसके पास किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है जिसका परिशिष्ट I में उल्लेख नहीं है तो वह भी आयोग के पास आवेदन कर सकता है और आयोग यदि चाहे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

10. यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिये बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तंभ (iii) में दी हुई हैं :—

क्रम संख्या	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिये परीक्षा में बैठने का पात्र है
(i)	(ii)	(iii)
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं, क्लास–I।
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास II, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश तथा अन्डमान निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा, तथा दिल्ली- हिमाचल प्रदेश तथा अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा I	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं, क्लास–I।

11. सशस्त्र सेवाओं में कार्य कर रहे उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिये अपना आवेदन-पत्र अपने यूनिट को कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दे, जो उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज देगा।

सरकारी सेवा में लगे अन्य सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिये अपने विभाग के अध्यक्ष से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये।

12. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) (i) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीदवारों के चुनाव के लिये आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा, सरकार के अन्तर्गत नौकरियों से, उसको सदा के लिये अथवा किसी विशेष अवधि के लिये वारित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

16. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (Qualifying marks) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिये बुलायेगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता-प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिये सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मान के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुये उस सेवा पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर दे, तो उसकी उस सेवा में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये आयोग सिफारिश करेगा।

18. (क) यदि परीक्षा फल के आधार पर, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जायेगा।

(ख) यदि अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी, तो जो व्यक्ति नियुक्त नहीं हुए हैं उनके नामों को आगामी वर्ष (वर्षों) में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों के नियतांश (quota) के अनुसार नियुक्ति के लिये प्रतीक्षा सूची (सूचियों) में रख दिया जायेगा।

19. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाये, सका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

20. उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र देते समय जो अपना अधिमान-क्रम (Preference) बताया होगा, उस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा, परन्तु भारत सरकार को उसे ऐसी कोई भी सेवा सौंपने का अधिकार है जिसके लिये वह उम्मीदवार हो ।

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिये उस की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

और बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (iii) में उसी सेवा के सामने उल्लिखित सेवाओं के लिये ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिस सेवा में नियुक्ति के लिये विचार किया जायेगा
(i)	(ii)	(iii)
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी—I ।
2.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी—I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़ कर) ।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा ।
3.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी—II, दिल्ली—हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा तथा दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप—समूह पुलिस सेवा ।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी—I

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से योग्य है ।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके । यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी । आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिये बुलाये गये उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा करवाई जा सकती है ।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाएं । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिये स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 12 में दिये गये हैं । रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में इन मामलों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जायेगी ।

23. (क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किये जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाये तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिये इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं माना जायेगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे ।

24. भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है ।

26. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जाती है उन के संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिये गये हैं ।

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय।

इंगलण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डहूम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सेंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

परिशिष्ट I-क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदित योग्यताओं की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

1. फ्रांसीसी परीक्षा (Baccalaureat) ।

2. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique) ।

3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

4. विश्वभारती विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् आल इंडिया कौंसिल फार टैक्निकल एज्यूकेशन) से वाणिज्य में डिप्लोमा ।

6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से सिविल, यांत्रिक या बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

7. श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेंन्ट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो ।

8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

9. अलमार, गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरद्वार

10. शास्त्री, काशी विद्यापीठ, बनारस

परिशिष्ट II

परीक्षा की रूप रेखा

1. प्रतियोगिता-परिक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—

(क) तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है । इससे पूर्णांक 450 होंगे ।

(ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा । इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना के सेवा-वृत के मूल्यांकन के लिए रखे जाएंगे ।

2. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(i) निबंध	3 घंटे	150
(ii) सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	150
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	150

3. परीक्षा का पाठ्य-विवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही ली जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपयुक्त विषयों के लिए होंगे।

4. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो इस के लिए उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे।

8. उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसलिए काट लिए जाएंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग-(क)

[परिशिष्ट II की धारा II की उप-धारा (क) के अनुसार]

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से अंग्रेजी में एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिये कई विषय दिये जाएंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यवस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति को प्रश्रय दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जाएंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसा कि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांक दिए जाएंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी किसी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग (ख)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप-धारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा— एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत होगा। उसमे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे। यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहणशक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, सन्तुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि इसकी जांच तो लिखित प्रश्न पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि व केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजो में भी रूचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्योरा :—

1. **भारतीय प्रशासनिक सेवा**—(क) नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) **वेतन-मान**—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–द० रो०–30–1000 (18 वर्ष)

सीनियर—

(i) समय-मान – रु० 900 (छठे या पहले)–50–1000–60–1600–50–1800 (22 वर्ष)

(ii) **सलेक्शन ग्रेड**—1800–100–2000।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते है जिनका वेतन रु० 2150 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासिनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय मे प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान मे वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते है।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय, सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते है।

2. **भारतीय विदेश सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप कौंसुल बनाकर उन भारतीयों मिशनों में भेज दिया जायेगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जाएगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सब्स्टेंटिव पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है

(घ) वेतन-मान—

जूनियर—रु० 400—400—500—40—700 कु० रो०—30—1000 ।

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50—1000—60—1600—50—1800 ।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

तीसरे वर्ष —रु० 500 प्रति मास ।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी को परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

नोट —2. परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं ।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बढ़े हुये खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इन्टरटेनमेंन्ट) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त, विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रिआयतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान ।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendance Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) भारत आने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक से अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जाएगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें । परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी ।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर, शिक्षा-भत्ता ।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Outfit Allowance) अधिकारी के सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए ।

(vii) विदेश में कम से कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए, छुट्टी पर घर जाने का किराया ।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षत छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी । विदेश में की गई सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी ।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, सामन्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं ।

(ञ) **सेवा निवृति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं ।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियो को मिल सकती हैं ।

3. **भारतीय पुलिस सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख)
(ग)
(घ) } **जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख) (ग) और (घ) में दिया गया है ।**

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश मे, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(च) **वेतनमान** —

जूनियर—रु० 400–400–450–30–600–35–670–द० रो०– 35–950 (18 वर्ष)

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले)–40–1100–50/2–1250–50–1300 (22 वर्ष)

सलेक्शन ग्रेड— रु० 1400

पुलिस उप महानिरीक्षक— रु० 1600–100–1800 ।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800–100—2000 ।

पुलिस महानिरीक्षक— रु० 2500–125/2–2750/

निदेशक, खुफिया ब्यूरो— रु० 2750 ।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा ।

(छ)
(ज)
(झ)
(ञ) } जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (छ), (ज), (झ) और (ञ) मे दिया गया है ।

4 **दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय मे, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा मे पक्का कर दिया जाएगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी । उससे भारत सरकार के किसी पुलिस खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है ।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I——(सलेक्शन ग्रेड)— रु० 900 नियत ।

ग्रेड II—समय-मान— रु० 300–25–475–कु० रो०–25–650–कु० रो०–30–800 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति की नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम-से-कम वेतन मिलेगा ।

इस सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति से नियुक्ति) विनियमावली 1965 के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर मान के पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी ।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहने के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड II (श्रेणी 1)—

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम-संगठनों (media organisation) में भारत भर में हैं । इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक मान्यता तथा किसी समाचारपत्र या समाचार-एजेंसी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है । यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी ।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :

ग्रेड	वेतनमान
श्रेणी 1	
सलैक्शन ग्रेड	रु० 2250 (नियत)
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800–100–2000
(जूनियर मान)	रु० 1600–100–1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300–60–1600
(जूनियर मान)	रु० 1100–50–1400
ग्रेड	रु० 700–40–1100–50–50/2–1250
ग्रेड II	रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–850 ।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350–25–500–30–590– कु० रो०–30–800 ।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270–10–290–15–410–कु० रो०–15–485 ।

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में, नीचे बताई गई प्रतिशतता के अनुसार खाली जगहों में सीधी भर्ती की जाती है :—

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	12%
ग्रेड I	25%
ग्रेड II	50%
ग्रेड III	100%

उपर्युक्त ग्रेडों का बाकी खाली जगहों और सलैक्शन ग्रेड, सीनियर प्रशासनिक ग्रेड, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (सीनियर मान) और ग्रेड III की खाली जगहें भी, ठीक निचले ग्रेडों के ड्यूटी पदों (duty posts) पर काम करने वाले अधिकारियों में से चुने गए व्यक्तियों की पदोन्नति करके भरी जाएगी ।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भर्ती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा-काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन) किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी। प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्य-क्रम संपूर्ति परीक्षा" (एंड-आफ-द-कोर्स-टेस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में भाषा-ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा से मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो।

(ii) परख अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है। यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो उसे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परिवीक्षाधीनों को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों का वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में रु० 450 कर दिया जाएगा। द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। यदि कोई परिवीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम-संपूर्ति-परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो पहले हो, रोक दिया जाएगा।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जाएगा।

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा।

7. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा।

8. **भारतीय रक्षा लेखा सेवा** ।

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी ।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है / सकता है या यदि यथास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना पड़ेगा ।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है ।

(च) वेतन-मान—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—

रु० 400—400—450—30—510—द० रो०—700—40—1100—50/2—1250 ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300—60—1600 ।

महालेखापाल—रु० 1800—100—2000—125—2250 ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने-वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी ।

भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क सेवा

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, क्लास I, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सहायक कलक्टर, सीमाशुल्क ।	रु० 400–400–450–30–510–द० रो०–700–40–1100–50/2 1250 ।
डिप्टी कलक्टर, सीमा शुल्क डिप्टी कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट कलक्टर ।	रु० 1100–50–1300–60–1600 ।
कलक्टर, सीमा शुल्क कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की संभावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा ।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही "फील्ड सर्विस" भी करनी होगी ।

नोट 1—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400–400–450–30–510–द० रो० 700–40–1100–50/2–1250 के समय वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मानेगा ।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतन-मान में रु० 400 से अधिक वेतन तब नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह, समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती ।

नोट 3—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग सीमा-शुल्क विभाग मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनियादी पाठ्य-क्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जाएगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर, रु० 450 कर दिया जाएगा । विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जाएगा । वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जानेवाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता ।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जाएगा ।

नोट 4—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास-I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा ।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय मान :—

रु० 400–400–450–480–कु० रो०–700–40–1100–1100–1150–1150–1200–1200–1250 ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300–60–1600 ।

रु० 1600–100–1800 (सलेक्शन ग्रेड) सीनियर प्रशासनिक ग्रेड —

रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

रक्षा लेखा महानियंत्रक— रु० 2750 (नियत)

नोट 1.—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारंभ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी।

नोट 2.—परखाधीन अधिकारियों को 400 रुपये से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे; इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलती और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

9. **भारतीय आयकर सेवा, श्रेणी**-I (क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्त पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है; परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हैं तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतनमान:—

आय-कर अधिकारी, श्रेणी-I

रु० 400–400–450–30–510–द० रो०–700–40–1100–50/2–1250 ।

आयकर सहायक आयुक्त—रु० 1100-50-1300-60-1600।

आयकर आयुक्त—रु० 1800-100-2000-125-2250।

परखाधीन अवधिमें अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 480 कर दिया जायेगा। रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाय।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1.—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा।

नोट 2.—परखाधीन अधिकारियों को भलिभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी एसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वह उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

10. **भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (गैर-तकनीकी संवर्ग)**

नियुक्तियां सहायक प्रबंधक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जाएंगी। उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा। इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

चुने हुए उम्मीदवारों को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को सफलता-पूर्वक समाप्त करने के बाद, कम से कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा।

सहायक प्रबंधक, जिनका पुनरीक्षित वेतन-मान रु० 400—400—450—30—600—35—670—कु० रो०—35—950, गुणों (Merits) के आधार पर, भारतीय ग्रार्डनेन्स फैक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:—

	वेतन-मान
1. उप-प्रबंधक (गैर-तकनीकी) उप-सहायक महानिदेशक, ग्रार्डनेन्स फैक्टरी	रु० 700—40—1100—50/2—1250।
2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) सीनियर उप-सहायक महानिदेशक, ग्रार्डनेन्स फैक्टरी	रु० 1100—50—1400
3. सहायक महानिदेशक ग्रार्डनेन्स फैक्टरी (ग्रेड 2)	रु० 1300—60—1600
4. सहायक महानिदेशक, ग्रार्डनेन्स फैक्टरी (ग्रेड 1)	रु० 1600—100—1800
5. उप-महानिदेशक, ग्रार्डनेन्स फैक्टरी	रु० 1800—100—2000

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ाकर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समय-मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका निश्चय होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी, की पाठ्क्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली ो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

11. **भारतीय डाक सेवा**

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आम-तौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) वेतन-मान:—

समय-मान रु० 400—400—450—30—510—कु०रो०—700—40—1100—50/2—1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक : रु० 1300—60—1600।

महापोस्टमास्टर : रु० 1800—100— 2000—125—2250।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड : रु० 2250—125/2—2750।

Senior Members, Post and Telegraph Board Rs. 3000

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के परखाधीन अधिकारी रु० 400—400—450—30—480—510—कु० रो०—700—40—1100—50/2—1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर जायेगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी I, के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझ जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे। चुने हुए उम्मीदवारों को, सरकार के निर्देशानुसार सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

12. **भारतीय रेलवे लेखा सेवा–**

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी परख अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा। सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षायें पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परखावधि में पास कर लेनी चाहिये। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा अधिकारी के (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किये गये अधिकारी भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी पाने के पात्र होंगे।

परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जोकि उसके वश के बाहर न हो भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण मे ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख अवधि मे उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उस के कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उस की नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(झ) वेतन-मान :—

(क) जूनियर रु० 400—400—450—30-600—35—670—कु० रो० —35—950 (प्राधिकृत-मान)

सीयनयर रु० 700 [छटे वर्ष या पहले— 10— 1100—50/2—1250 (प्राधिकृत-मान)]

जूनियर प्रशासनिक-मानक 1300—60—1600 (प्राधिकृत-मान)

सीनियर प्रशासनिक मान रु० 1800—100—2000—125—2250 (प्राधिकृत मान)

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षायें पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से रु० 450 तक की उस की वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्योंहि निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्योंहि उसको रु० 400—950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमांत परीक्षा पास में पास नहीं करतातो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्षके लिए

स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, वह उन की कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उस के बाद ही उन का वेतन समयमान में रु० 400 प्रति मास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर, उन का वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

13. सैनिक भूमि और छावनी सेवा (श्रेणी I और श्रेणी II)

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिस की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि छ० महीने से कम नहीं होगी।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी।

(ग) (i) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उस के कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

(ii) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उस की परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।

(iii) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उस की नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है। परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जायेगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जायेगा।

(घ) यदि उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रतिमास मानी जायेगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस दे कर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उस की परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा।

जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जायेगी ।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्य-क्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

(छ) वेतनमान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां ।

रु० 1800—100—2000 ।

(ii) संयुक्त निदेशक, सनिक भूमि और छावनियां ।

रु० 1600—100—1800 ।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनिया ।

रु० 1300—60—1600 ।

(iv) सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां ।

रु० 1100—50—1400 ।

श्रेणी–I

	रु०
(v) उप-सहायक निदेशक, सनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और काय-पालक अधिकारी	400—400—450—30—510— कु० रो० 700—40—1100—50/2—1250 ।

श्रेणी–II

(vi) कार्यपालक अधिकारी	350—25—500—30 590—कु० रो० —30—800— कु० रो० 830—35—900 ।
(vii) सहायक सैनिक सम्पदा अधिकारी	350—25—500—30 —590—कु० रो० —30—800 कु० रो० —830—35—900 ।

(ज) (i) श्रेणी i के अधिकारियों को, सामान्यतया, उप-सहायक निदेशक, सनिक सम्पदा अधिकारी, और श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जायेगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उप-धारा—(4) के खण्ड (ङ) का उप खण्ड (i) लागू होता है।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया, उन छावनियों में नियुक्त किया जायेगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं।

(झ) (i) सभी पदोन्नितियां, इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (by selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जायेगा जबकि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होगें]। श्रेणी-।। से श्रेणी-। में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental rules) के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I से तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि श्रेणी- II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो।

(ञ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये बिना, कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से संबंधित न हो।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field service) पर भी भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।

14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रुप में नियुक्त किया जायेगा। उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि में, उन्हें पैरा (ड) मे उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा। यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जायेगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जायेगी।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जायेंगी जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी। इस अवधि मे दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेगें उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा, यदि उन्होने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाये पास कर ली हों। ध्यान रहे कि ये परीक्षायें नियमित: प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जायें [क्योंकि विशेष (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा। किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरुप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी। किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद, परखाधीन अधिकारियों को एक अंतिम परीक्षा

पास करनी होगी । यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की होगी । जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा । जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षायें पास करने और पक्का होने पर, समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियां ली जा सकेंगी ।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो ।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी : —

(क) पैंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदानरहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(छ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए अधिकारी, भारतीय रेलवे अधिकारियों पर उस समय लागू होने वाले छुट्टी के नियमों के अनुसार, छुट्टी पाने के पात्र होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी ।

(ज) अधिकारियों को, आमतौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे । और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (project) या रेलवे में स्थानांतरित कर सके ।

(झ) नियुक्त किये गये अधिकारियों की अपेक्षित वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आमतौर पर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (order of merit) के अनुसार निश्चित की जायेगी यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी । वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है । उसको यह भी अधिकार है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है ।

(ड) वेतन मान:—

जूनियर —रु० 400—400—450—30—600—35—670—कु० रो० —35—950 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40—1100—50/2—1250 (प्राधिकृत मान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300—60—1600 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1800—100—2000—125—2250 (प्राधिकृत मान)।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी। और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकारी अपनी परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा।

यदि कोई पराधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उससे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 2—जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में होंगे, परखाधीन अधिकारी के रुप में उनको नियुक्ति होने पर, उनका वेतन समय-समय पर लागू होने वाले नियमों और विनियमों के अनुसार नियत किया जाएगा।

(ट) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी।

(ठ) प्रशासनिक ग्रडों में पदोन्नति, स्वीकृति (establishment) स्थापना में खाली जगहें होने पर होने की जायेंगी और पूर्णरुप से चुना (selection) के आधार पर ही की जायेंगी। एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता।

(ड) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम।

नोट 1--जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है।

नोट 2--परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि अपवादिक परिस्थितियों हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। परीक्षा में असफल होने पर पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जायेगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जायेगा जब तक कि वे परीक्षायें पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3--नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इसमें महाप्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किये जा सकते हैं, परन्तु सामानन्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि--दो वर्ष।

	विषय	अवधि
		मास
1	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	4
2	एरिया स्कूल, गार्ड की ड्यूटी सीखने के लिए	1
3	गार्ड का काम	½
4	बड़ोदा स्टाफ कालेज में प्रशिक्षण का पहला दौर	3
5	टिकट घर, पार्सल कार्यालय, माल-गोदाम और यानान्तरण शेड	1
6	यातायात लेखा कार्य, जिसमें यौराकार लेखा-निरीक्षक के साथ काम करना और स्टेशन पर खुद संतुलन-पत्र बनाना भी शामिल है;	1½
7	एरिया स्कूल में, सहायक स्टेशन मास्टर की योग्यता प्राप्त करने के लिये	1
8	यार्डमास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन और गाड़ी परीक्षण का काम	3
9	सहायक लोको फोरमेन का काम	½
10	सहायक नियंत्रक का काम	1

विषय	अवधि
	मास
11. बड़ौदा स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण (दूसरा दौर)	1½
12. (क) डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन कार्यालय में प्रशिक्षण	1
(ख) सहायक बिजली नियंत्रक का प्रशिक्षण	1½
13. मुख्यालय (परिचालन कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
14. मुख्यालय (वाणिज्य कार्यालय) में प्रशिक्षण	1½
	23½
विभिन्न प्रशिक्षण कार्यों को करने के लिये की जाने वाली यात्रा के लिये और अपरिहार्य छुट्टियों के लिये नियत की गई अवधि	½
कुल	24 मास

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जायेगा। परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जायेगी।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतंत्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाये और योग्य घोषित किया जाये।

15. **केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी–II**

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा मे इस समय निम्नलिखित ग्रेड है :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100–50–1300–60–1600–100–1800
ग्रेड–I अवर सचिव	रु० 900–50–1200

विषय	अवधि
अनुभाग अधिकारी ग्रेड–I	रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–30–830–35–900।
सहायक ग्रेड	रु० 210–10–270–15–300–कु० रो० 15–450–कु० रो० 20–530।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल-सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी / सहायक ग्रेड मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जायेगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे।

16. सीमा-शुल्क मूल्य-निरूपक सेवा, श्रेणी–II

(क) निर्धारित वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०–30-800 कु० रो०-830-35-900 है। इस सेवा में सीधे भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख अवधि में उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित

प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकने पर या परीक्षा पास न कर सकने पर, परखाधीन अधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) परख-अवधि के समाप्त हो जाने पर और विभागीय-परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने पर, अधिकारी पक्के किये जा सकेंगे, यदि स्थायी पद उपलब्ध होंगे। यदि सम्बन्धित सीमा-शुल्क समाहर्ता की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी परख-अवधि उतनी बढ़ाई जा सकती है जितनी कि सम्बन्धित सीमा शुल्क समाहर्ता उचित समझे।

(ग) मूल्य-निरूपक के रूप में सेवा की अवधि समाप्त होने पर अधिकारी रु० 600-50-950 के वेतनमान में प्रधान मूल्य-निरूपक के ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र हो जायेंगे और उसके बाद वे सहायक समाहर्ता, श्रेणी-I के पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे।

(घ) जहां तक छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है वे श्रेणी-II के अन्य अधिकारियों के समान समझे जायेंगे।

नोट—ऊपर दिये गये वेतन और ग्रेड बदले जा सकते हैं।

17. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबारद्वीप समूह सिविल सेवा, श्रेणी-II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप में अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझें, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I—(सलेक्शन ग्रेड)—रु० 900—50—1200।

ग्रेड II—रु० 300—30—510—कु० रों० 30—600—40—720— कु० रो०—40—800—50—850।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति की नियुक्ति होने पर ग्रेड II के वेतनमान में कम-से-कम वेत . मिलेगा ।

उक्त सेवा के अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति से नियमित) विनियमावली, 1955 के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर मान पदों पर पदोन्नति पाने के पात्र होंग ।

(च) उक्त सेवा के अधिकारी उसी दर से महंगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो पंजाब सरकार के समकक्ष अधिकारियों को अनुमत्य होगी ।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायगा और जिन स्थानों के लिये ये भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्र श और अण्डमान नीकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमा .ली 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों अ र आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरू (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

18. **रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी--II**

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

सेवा	वेतनमान
(i) सहायक निदेशक अवर सचिव	रु० 900—50—1250
(ii) अनुभाग अधिकारी	रु० 350—25—500—30—590—कु० रो०—30—800—कु० रो० 30—830—35—900
(iii) सहायक	रु० 210—10—270—15—300— कु० रो०—15—450-कु ० रो०—20—530

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख-अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करना होंगी । यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाये।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझें, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने नियन्त्रित करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखा हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों मे वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको समान्यता अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव को सामान्यता शाखाओं का कार्यभार सौपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे ।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किए जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं ।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege Ticket Orders) लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलव बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी)

(क) रेलवे पेंशन रूल से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागु होते हैं जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

परिशिष्ठ IV

उम्मीदवारों कीशारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये दिये जा रहे हैं ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि वे शारीरिक स्वास्थ्य के अपेक्षित स्तर तक आते है या नहीं । पर यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अपने निर्णय से वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी उम्मीदवार

को शारीरिक दृष्टि से अक्षम-मान कर स्वीकार कर सकती है और उसका निर्णय किसी भी प्रकार इन विनियमों से बंधा नहीं है। ये विनियम केवल मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए हैं और इनसे उसका निर्णय किसी प्रकार भी सीमित नहीं होता।)

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवा (ओं) की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जायेगी।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए। यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिए कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

	कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
	सें० मी०	सें० मी०	सें० मी०
(1) भारतीय रेल यातायात सेवा	152	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (महिलाओं के लिए)
(2) भारतीय पुलिस, दिल्ली, हिमाचल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा क्लास II	165	84	5 (पुरुषों के लिए)
	150	79	5 (महिलाओं के लिए)

गोरखा, गढ़वाली, असमिया, आदिम जातियों आदि के उम्मीदवारों के लिए, जिनका औसत कद विशेष रूप से कम होता है, कम-से-कम निर्धारित कद में छूट दी जाती है।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़िया, पिंडलियां, नितंब और कंधे

माप-दंड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जायेगी ताकि सिर का स्तर (वर्टैक्स ग्राफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (ग्राड़ी छड़) के नीचे ग्रा जाए । कद सेंटीमीटरों ग्रौर ग्राधे सेंटीमीटरों में नापा जायेगा ।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों ग्रौर उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जायेगा कि पीछे की ग्रोर इसका ऊपरी किनारा ग्रसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे ग्रौर यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी ग्राड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाग्रों को नीचे किया जायेगा ग्रौर इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ग्रोर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले । ग्रब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जायेगा ग्रौर छाती का ग्रधिक-से-ग्रधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा ग्रौर कम-से-कम ग्रौर ग्रधिक से-ग्रधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84–89, 86–93.5 ग्रादि नाम को रिकार्ड करते समय ग्राधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा ग्रौर उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा । ग्राधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के ग्रनुसार की जायेगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा :—

(i) सामान्य जनरल—किसी रोग या विलक्षणता (एबनार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की ग्रांखों की सामान्य परीक्षा की जायेगी । यदि उम्मीदवार को एसा भेंगापन या ग्रांखों, पलकों ग्रथवा साथ लगी संरचनाग्रों (कंटिगुग्रस स्ट्रक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके ग्रयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को ग्रस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

(ii) दृष्टि की पकड़ (विजुग्रल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिये दो जांचें की जायेंगी, एक दूर की नजर के लिए ग्रौर दूसरी नजदीक की नजर के लिए । प्रत्येक ग्रांख की ग्रलग से परीक्षा की जायेगी ।

चश्मे के बिना नजर (नेकेड ग्राई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या ग्रन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे ग्रांख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक-इन्फार्मेशन) मिल जायेगी ।

चश्मे के साथ ग्रौर चश्मे के बिना दूर ग्रौर नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

	दूर की नजर		नजदीक की नजर	
	ग्रच्छी ग्रांख	खराब ग्रांख	ग्रच्छी ग्रांख	खराब ग्रांख
1. भारतीय रेलवे यातायात सेवा	6/9 6/6	6/9 ग्रथवा 6/12	0.6	0.8

	दूर की नजर		नजदीक की नजर	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, केन्द्रीय सूचना सेवा (ग्रेड-II) श्रणी-I, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय रक्षा लेखा, सेवा, भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I) भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (सहायक प्रबंधक, अतकनीकी) भारतीय डाक-सेवा, श्रेणी-I, सैनिक भूमि और छावनी सेवा श्रेणी-I, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रणी-II सीमाशुल्क मूल्यनिरूपक सेवा श्रेणी-II, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी-II सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी II . .	6/9	6/9	0.6	0.8
	अथवा			
	6/6	6/12		
3. भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II	6/9	6/9	0.6	0.8
	अथवा			
	6/6	6/12		

नोट:—

ऊपर संख्या 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिए प्रत्येक आंख में मायोपिया की कुल माला (सिलिंडर समेत)−4.00 से अधिक नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया की कुल माला प्रत्येक आंख में−4.00 डी से अधिक नहीं होगी।

ऊपर संख्या में उल्लिखित सेवाओं के लिए प्रत्येक आंख में मायोपिया की कुल माला (सिलिंडर समेत)−8.00 से अधिक नहीं होगी। हाइपरमेट्रोपिया की कुल माला प्रत्येक आंख में−6.00 डी से अधिक नहीं होगी।

(3) फंडस परीक्षा—जब कभी सम्भव होगा मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किये जायेंगे।

(4) कलर विजन—(i) ऊपर 1 और 3 में उल्लिखित सेवाओं के लिये रंगों के संबंध में नजर की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपचर) का आकार	1.3 मि० मीटर	13 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकंड

जनता की सुरक्षा से सम्बन्धित सेवाओं के लिए जैसे पाइलट, ड्राइवर, गार्ड आदि, के लिए कलर विज़न का हायर ग्रेड अनिवार्य है लेकिन अन्य सेवाओं के लिए कलर विज़न का लोअर ग्रेड ही काफ़ी समझना चाहिए।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विज़न है—इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैंटर्न जसी उपयुक्त लैंटर्न और अच्छी रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विज़न की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वासनीय समझा जायेगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिये लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिये।

(5) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विज़न)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मेथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पेरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(6) रतोंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतोंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है, रतोंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियत स्टेंडर्ड टेस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवाकर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

(7) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडिशन्स)—(क) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिवएरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भेंगापन (स्क्विंट) ऊपर 1 और 3 में लिखी सेवाओं के लिए द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजमी है। नियत स्टैंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का

कारण समझना चाहिए । दूसरी सेवाओं के लिए उस हालत में भगापन को अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए जब दृष्टि की पकड़ नियत स्टैंडर्ड की हो ।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती ।

7. ब्लड प्रेशर

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है ।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100+ आयु होता है ।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाये । यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखे । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है [ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत् हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़िक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमत : पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्तेकि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है । भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ़ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़ की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इस के उपर बीचों-बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ़ के साथ न लगे । कफ़ में लगभग 200 m.m. Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाती है । जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हलकी दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक

प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकार होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डाया-बीटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसुलिरमा) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधु मेही (नान-डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिसपर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकती है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो, इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं; और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ञ) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(ट) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(झ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं। जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

10. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

नोट—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है। किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अंदर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाणपत्र पेश करें तो इस प्रमाणपत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जब कि इसमें सम्बन्धित मेडिकल प्रक्टिशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोट तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिये। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिये।

(क) **उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—**

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिये। नीचे दिये गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

1. अपना पूरा नाम लिखें.........................

(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं................

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको या आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार को तपेदिक, स्कोफ्यूला, गाऊट, दमा, दौरे (फिट्स) मिरगी (एपिलेप्सी) या पागलपन (इन्सेनिटी) हुआ है ?

6. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

7 अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित व्योरा दें ।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

8. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? ....

9. यदि उपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? ....

10. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? ——————

11. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? ——————

12 मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो। ——————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.........

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर............

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धक्य निवृति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ....की शारीरिक परीक्षा की/मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा...............बीच का..............कम

पोषण: पतला...............औसत...............मोटा...........

कद (जूते उतार कर)...................वजन....................

अत्युत्तम वजन.....................कब था ?....................

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन..........................

तापमान..........................

छाती का घेर..........................

(1) पूरा सांस खींचने पर................

(2) पूरा सांस निकालने पर...............

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी................

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी..............................

(2) रतौंधी.......................................

(3) कलर विजन का दोष...............................

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ग्राफ विज़न)........................

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)................ ... . ..

दृष्टि की पकड़ चश्मे के बिना		चश्मे से	चश्मे की पावर		
			गोल	सिलि०	अक्ष
दूर की नज़र	दा० ने०				
	बा० ने०				
पास की नज़र	दा० ने०				
	बा० ने०				
हाइपरमेट्रोपिया	दा० ने०				
(व्यक्त)	बा० ने०				

4. कान : निरीक्षण...................सुनना :

दायां कान............ .....बायां कान...........

5. ग्रंथियां....... .. ..थाइराइड. ....

6. दांतों की हालत........................

7. श्वसन तंत्र (रस्पिरेटॉर सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेरेटी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ?

....

गति रेट :

खड़े होने पर :

25. बार कुदाए जाने के बाद ....

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद......................

(ख) ब्लड प्रेशर ....सिस्टालिक .... .डायस्टालिक..

....

9. उदर (पेट) : घेर .... दाब वेदना (टैंडरनैस) र्हानया ....

(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर ....तिल्ली ....

गुर्दे .... ट्यूमर..........

(ख) बवासीर के मस्से ....फिस्चुला..........

10. तांत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत..........

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता...................

12. जनन-मूत्र तंत्र (जनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत।
मूत्र परीक्षा :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) स्पेसिफ़िक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एलब्यमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाए (सेलस)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा..........

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I और II................

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं मे दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)।

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है ?

नोट—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण..................

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण..................

स्थान.......................... अध्यक्ष (प्रेसिडेंट)..............

तारीख.......................... सदस्य..............

सदस्य..............

पी० के० दवे,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967